JALAUN POLICE

दिनांक – 29.08.2026

थाना आटा एवं स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 04 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करों को 2 कुंतल 27 किलो ग्राम अनुमानित कीमत 70,00,000/- रुपये (सत्तर लाख रुपये) अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में अवैध शराब के निष्कर्षण व परिवहन एवं नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना आटा पुलिस टीम एवं स्वाट/सर्विलांस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान दिनांक 29.08.2026 को 04 गांजा तस्कर **01.** राजीव पवांर उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र स्व0 धर्मवीर मूल निवासी ग्राम एलम थाना कांधला जिला शामली वर्तमान पता मो0 शताब्दी नगर थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत, **02.** मो0 आदिल पुत्र स्व0 हसन निवासी मो0 पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली उम्र करीब 30 वर्ष, **03.**मोईन खान पुत्र मौजुद्दीन निवासी मो0 पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली उम्र करीब 24 वर्ष, **04.** शमीम पुत्र यामीन निवासी ग्राम कासिमपुर खेड़ी थाना रमाला जनपद बागपत उम्र करीब 38 वर्ष को कुल करीब 2 कुन्तल 27 किग्रा0 अवैध गांजा नाजायज मय 5100 /- रुपये मय अन्य प्रपत्र व 02 अदद स्कार्पियो गाड़ी नम्बर 01.UK08 BM 4343 व 02. UP19 X 5841 काले रंग बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आटा पर मु0अ0सं0 141/2026 धारा 08/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

पूछतांछ का विवरण– पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया है कि साहब हम चारों लोग मिलकर अवैध गाँजे का धंधा करते है। सम्मिलित रूप से पैसा मिलाकर सस्ते दाम पर उड़ीसा से गाँजा खरीदकर झांसी, जालौन, कानपुर देहात ,कानपुर नगर व आस पास के जनपदों में चलते फिरते, राहगीरों व ग्राहकों को बेच देते हैं और जो हमें गाजे की बिक्री से रुपये मिलते हैं उसे आपस में बाँटकर अपने शौक पूरे करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. राजीव पवांर उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र स्व0 धर्मवीर मूल निवासी ग्राम एलम थाना कांधला जिला शामली वर्तमान पता मो0 शताब्दी नगर थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत।

2. मो0 आदिल पुत्र स्व0 हसन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मो0 पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3. मोईन खान पुत्र मौजुद्दीन उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मो0 पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4. शमीम पुत्र यामीन उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम कासिमपुर खेड़ी थाना रमाला जनपद बागपत।

अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के राज्यों / जनपदों से की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 कुन्तल 27 किलो ग्राम अवैध गांजा
2. 02 अदद स्कार्पियो गाड़ी नम्बर UK08 BM 4343 व UP19 X 5841 काले रंग (सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट)
3. 5100 /- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष आटा मय पुलिस टीम
2. प्रभारी स्वाट/सर्विलांस मय टीम